श्री अभय कुमार सिंह, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा दिनांक 07-09-2013 को अंचल कार्यालय, बैरिया का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी :—

दिनांक 07.09.2013 को अंचल कार्यालय, बैरिया का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य पाया गया :—

1. उपस्थिति :—

अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण के समय प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। उपस्थित कर्मी द्वारा बताया गया कि दोनों पदाधिकारी एवं कुछ कर्मी शिविर में गए हैं। श्री प्रभुवेन्द्र कुमार, आई0टी0 सहायक अनुपस्थित पाए गए। उपस्थिति पंजी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि वे लगातार दो दिन यथा दिनांक **06.09.13** एवं **07.09.2013** को अनुपस्थित हैं। पृच्छा किए जाने पर किसी भी कर्मी के द्वारा कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0 कोषांग अनुपस्थित दो दिनों का वेतन काटते हुए अंतिम रूप से स्पष्टीकरण निर्गत कर संविदा रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चि करेंगे।

निरीक्षण के क्रम में यह भी पाया गया कि श्री उपेन्द्र त्रिपाठी, सहायक का स्वास्थ्य खराब है। श्री त्रिपाटी के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ऐच्छिक सेवानिवृति से संबंधित अनुरोध पत्र दिया गया है। जिला स्थापना उपसमाहर्ता उनके द्वारा समर्पित आवेदन पर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :— प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0 कोषांग / जिला स्थापना उपसमाहर्ता)

2 आर0टी0पी0एस0 :—

निरीक्षण के क्रम में भू—स्वामित्व प्रनाण पत्र के 3, आवासीय प्रमाण पत्र के 24 एव आय प्रमाण पत्र के 3 आवेदन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद लंबित पाया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेतिया सदर को निदेश दिया जाता है कि कि वे उपरोक्त के आलोक में जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए वित्तीय दण्ड अधिरोपित कर एक सप्ताह के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

(अनुपालन :—भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेतिया सदर)

3 नोट बुक :—

अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक के नोट बुक का अवलोकन किया। सही तरीके से विहित प्रपत्र में संधारित नहीं पाया गया। प्रधान सहायक से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। 15 दिन के अंदर विहित प्रपत्र में संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

(अनुपालन :—प्रधान सहायक)

4 मापी :—

प्रभारी [illegible] के द्वारा बताया गया कि कुल 27 आवेदन मापी हेतु प्राप्त हुआ है परन्तु आवेदनों की [illegible] से स्पष्ट हुआ कि कुल 18 आवेदन संचिका में संधारित है जिसमें से 13 आवेदक के द्वारा अमानत फी जमा किया गया है एवं शेष 5 आवेदकों के द्वारा अमानत फी जमा किया जाना

शेष है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रभारी सहायक के पास अद्यतन सूचना नहीं है। अंचल अधिकारी प्राप्त एवं निष्पादित आवेदनों की समीक्षा कर दिनांक 15.09.2013 तक प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। मापी पंजी भी विहित प्रपत्र में संधारित नहीं पाया गया। दिनांक 15.09.2013 तक संधारित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–अंचल अधिकारी / प्रभारी लिपिक)

5 रोकड़ बही :–

अंचल कार्यालय का सामान्य रोकड़ बही दिनाक 31.08.2013 तक लिखा हुआ पाया गया।

6 चौकीदार / दफादार :–

चौकीदार / दफादार का माह जून, 13 तक का वेतन भुगतान किया गया है। जुलाई एवं अगस्त माह के वेतन का भुगतान आवंटन के अभाव में नहीं किया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा विभाग से आवंटन प्राप्त कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :–प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा)

11/9

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1610 / गो. दिनांक 12/09/2013

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, बैरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया / भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेतिया / वरीय प्रभारी, बैरिया / प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा / प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा / प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0 कोषांग / जिला स्थापना उपसमाहर्ता / आई0टी0 मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/9

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1610 / गो. दिनांक 12/09/2013

प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।